न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :18/2015 G.C.M.S. No. 2015/00499 दर्ज दिनांक : 26.06.2015

अपीलार्थी:

लक्ष्मणराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार उम्र 71 वर्ष, निवासी अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. लुणकरण पुत्र स्व. भीखालाल,
2. अजोदिया देवी पत्नी भीखालाल के कायम मुकामः–
   2/1 रेतीबाई पुत्री भीखालाल,
3. स्व0 माणकलाल पुत्र भीखालाल के कायम मुकामः–
   3/1 गजेन्द्र पुत्र माणकलाल,
   3/2 प्रियंका पुत्री माणकलाल,
   3/3 नम्रता पुत्री माणकलाल,
   3/4 संतोष पत्नी माणकलाल (फौत विलोपित)
   जाति ब्राह्मण निवासी अटबड़ा, तहसील सोजत, जिला पाली।
4. अशोक कुमार पुत्र जीवनलाल हाल निवासी सिरियारी, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
5. नंदकिशोर पुत्र जीवनलाल जाति ब्राह्मण निवासी अटबड़ा, हाल तातेड़ों की पोल, बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
6. लता पत्नी किशनलाल जाति सैन, निवासी बस स्टेण्ड के पास, अटबड़ा, तहसील सोजत, जिला पाली।
7. तहसीलदार सोजत, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2014 बअनवान लक्ष्मणराम बनाम लूणकरण वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015

पैरोकारः–

1. श्री ओ.पी. राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री गजेन्द्र परिहार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 29.09.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2014 बअनवान लक्ष्मणराम बनाम लूणकरण वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 की विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

अपीलाण्ट वादी ने रेस्पोडेण्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा अटबड़ा के पुराने खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी

नम्बर 1033 किस्म सेवज अव्वल जिसके नये खसरा नम्बर 2499 क्षेत्रफल 1.3000 हैक्टेयर है। उक्त कृषि भूमि दिनांक 14.12.1963 को जरिये बेचान भीकालाल एवं जीवनलाल पुत्रान बंशीलाल ने अपीलार्थी लक्ष्मण के पक्ष में बेचाण कर मौके पर भौतिक रूप से कब्जा संभलाकर अपने सार हल हकुक व अधिकार खरीदकार्त को सुपुर्द किये। दिनांक 14.12.1963 से लगातार डोमिनेन्ट रूप से शांतिपर्वूक कब्जा काश्त रहा परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से लगायत 3 ने राजस्व रिकॉर्ड का गलत उपयोग करते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 4 व 5 की सहमति से प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में बेचाणनामा दिनांक 14.03.2014 को बिना कब्जे के करवा दियां दिनांक 14.12.1963 को अपीलार्थी द्वारा बेचाण के बाद ग्राम पंचायत में उक्त खरीदशुदा भूमि का अपने नाम का म्यूटेशन भरवाया एवं तत्कालीन अधिकारियों को राजस्व रेकर्ड में अपने नाम उक्त खरीदशुदा भूमि का जमांबदी में प्रविष्ठि कर दस्तावेज सहित आवेदन किया था परन्तु राजस्व अधिकारियों की भूल के कारण अपीलार्थी का नाम खरीदशुदा कृषि भूमि दर्ज नहीं कर पूर्व खातेदारान की वारिशान के नाम उक्त कृषि भूमि में जमाबंदी में बिना अधिकारिता के ही पूर्व प्रविष्ठी जारी रखी जिसका दुरूपयोग रेस्पोडेण्ट ने आपसी षडयंत्र रचते हुये मिलावट कर किया। अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में रेस्पोडेण्ट संख्या 6 के द्वारा तथाकथित अवैध व प्रारम्भ से ही शुन्य बेचाण के आधार पर दखल अंदाजी करने की गलती दिनांक 18.03.2014 को की। जिसकी नकल 20.03.2014 का मिलने पर राजस्व वाद अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण की तामिल होने पर उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अन्य प्रतिवादीगण का जवाब के लिये पत्रावली पत्रावली नियत की गयी। प्रशासन गांवों के सग के दरमियान ग्राम अटबड़ा में दिनांक 29.05.2015 को राजस्व केम्प लगाया, जिसमें अपीलार्थी उपस्थित हुआ एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 6 की तहर से तथाकथित राजेन्द्र सैन की उपस्थिति दर्ज कर मनमाने रूप से निर्णय दिनांक 29.05.2015 को पारित कर डिक्री पर्चा बनाया गया। उक्त राजस्व अदालत में प्रकरण राजीनामा हेतु नियत था परन्तु उक्त राजीनामें में प्रतिवादीगण अनुपस्थत रहने के बावजूद तथाकथित राजेन्द्र सैन की उपस्थिति दर्ज की गई। जो न तो प्रतिवादी संख्या 6 का पॉवर ऑफ एर्टोनी होल्डर था न ही पक्षकार था एवं न ही अधिवक्ता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित राजेन्द्र सैन के दबाव प्रभाव में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गलत रूप से राजस्व प्रकरण को सिविल न्यायालय का मानकर क्षेत्राधिकार नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी

मानकर नहीं मानकर वाद खारिज किया है। उक्त प्रकरण में सरकार की ओर से जवाबदावा लेकर तनकियात कायम कर साक्ष्य रिकॉर्ड पर करने के पश्चात ही विधि अनुसार निर्णय पारित किया जाना था। परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं कर एवं प्रतिवादीगण की आरे से वाद खारिज करने बाबत या अन्य न्यायालय की अधिकारिता बाबत् अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में प्रार्थना पत्र नहीं होते हुये भी गलत रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। वादी द्वारा वाद के समर्थन में बेचाणनामा दिनांक 14.12.1963, अपीलाण्ट के पक्ष में ग्राम पंचायत अटबड़ा द्वारा तत्कालीन समय में पारित म्यूटेशन खरीदार के द्वारा वक्त खरीद बेचाणकर्ता से खरीदशुदा भूमि से संबंधित सभी राजस्व रेकॉर्ड प्राप्त किया, बिगोडी आज दिन तक अदा की एवं मौका फर्द में भी खरीद के दिन से फर्द बनाने तक भी कब्जा अपीलाण्ट का ही निरन्तर रूप से बतौर हल हकुक व मालिकाना अधिकार सहित होना उपरोक्त दस्तावेज से प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। उक्त सभी तथ्यों को नजरअंदात कर अधिनस्थ न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर गलत रूप से वादी का वाद खारिज किया गया। वर्ष 1963 से वर्ष 2014 तक राजस्व अधिकारियों द्वारा जानबूझकर वादी की खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि बाबत प्रविष्ठि नहीं कर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। अपीलार्थी का वाद प्रथम दृष्टया सिद्ध होने, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में स्थाई निषेधाज्ञा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा अपने पक्ष में प्रामणित कर चुका था फिर भी वाद खारिज किया गया। वाद में वर्णित भूमि बाबत सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने तथा अपीलार्थी की ओर से रेस्पोडेण्ट संख्या 6 के पक्ष में तथाकथित रजिस्ट्री दिनांक 14.03.2014 को निरस्त करवाने हेतु अपर जिला न्यायाधीन सोजत के न्यायालय में वाद एवं टी.आई. प्रस्तुत किया, जिस पर स्थगन आदेश अपीलार्थी के पक्ष में इस आशय का पारित किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में रेस्पोडेण्टगण को अपीलार्थी के कब्जा काश्त में दखल करने से रोकने एवं वर्तमान मौके व रेकर्ड की स्थिति को मूल वाद के निर्णय तक यथावत बनाये रखने का पारित किया गया था। इन परिस्थितियों में अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर प्रकरण गुणावगुण पर अपीलार्थी के साक्ष्य लेकर न्यायिक रूप से निर्णय करने हेतु रिमाण्ड करने के आदेश फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में प्रतिवादीगण रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध दावा बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगस्त अपील अदंर मियाद प्रस्तुत की गयी।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादपत्र के पैरा संख्या 02 में अंकित किया है कि "वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के पूर्वज भीखालाल, जीवनलाल पिसरान बंशीलाल से वादग्रस्त आराजी दिनांक 14.12.1963 को ज़रिये बेचाण लिखत खातेदारी के खरीद की गयी। जिस पर भीखालाल व जीवनलाल के हस्ताक्षर है........" तब से वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी का निरन्तर शांतिपूर्वक बहैसियत मालिक कब्जाकाश्त है। इसी प्रकार वादपत्र के पैरा संख्या 03 में यह अंकित किया है कि "प्रतिवादी संख्या 1 से 8 व उनके पूर्वज गांव अटबड़ा में कई वर्षों से उपलब्ध नहीं होने के कारण वादग्रस्त कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं करवायी जा सकी व वादी अनपढ़ होने से उसने उक्त बेचाणनामा को ही रजिस्ट्री समझ लिया था......." इसी प्रकार पद संख्या 05 में यह अंकित किया है कि " इस प्रकार वादी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर एडवर्स पेजेशन के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।" इस प्रकार वादपत्र के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादी अपीलाण्ट द्वारा अपंजीकृत लिखत दिनांक 14.12.1963 तथा कृषि भूमि पर प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपंजीकृत लिखत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्रदान करने के लिए राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी

होने तथा प्रकरण स्पेसिफिक रिलिफ एक्ट 1963 से संबंधित होने तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत विचारण का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त होने के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादपत्र खारिज किया गया।

3. हमारे विन्रम मत में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं होने तथा अपंजीकृत लिखत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। बल्कि ऐसे प्रकरणों में सर्वप्रथम संबंधित पक्ष को स्पेसिफिक रिलिफ एक्ट 1963 के अन्तर्गत सक्षम सिविल न्यायालय में चाराचौही कर वांछित अनुतोष प्राप्त किया जाना चाहिए। अतः हमारे विन्रम मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र को खारिज करने में कोई कानूनन कोई भूल या त्रुटि नहीं की है। अतः इस संबंध में अपीलाण्ट द्वारा लिये गये उज्र स्वीकार योग्य नहीं है। तथा अपील अपीलाण्ट बखूबी साबित नहीं होती है।

4. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज़ की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2014 बअनवान लक्ष्मणराम बनाम लूणकरण वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली